न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–36 / 2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
1. चैनाराम पुत्र धर्माराम 2. ओमप्रकाश पुत्र धर्माराम 3. नरसिंगाराम पुत्र धर्माराम 4. लेहरो पुत्री धर्माराम 5. रामू पूत्री धर्माराम 6. केसीदेवी पत्नि धर्माराम जातियान जाट निवासी गोदारों का सरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1.श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.एकतरफा– विप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक– 20.06.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा गोदारों का सरा पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 103/4 रकबा 9.8779 हैक्टेयर में अवस्थित प्रार्थीगण के पिता की सही वलदियत धर्माराम पुत्र तिलाराम के स्थान पर खेत में राजस्व की भूलवंश से प्रार्थीगण के पिता की वलदियत धर्माराम पुत्र किरताराम गलत नाम दर्ज हो रखा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर प्रार्थीगण के पिता की वलदियत धर्माराम पुत्र किरताराम के स्थान पर धर्माराम पुत्र तिलाराम दुरूस्त करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी की तरफ से पैरोकार सरकार उप.।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया मौजा गोदारों का सरा पटवार क्षेत्र राणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 103/4 रकबा 9.8779 हैक्टेयर भूमी में प्रार्थीगण के पिता की सही वलदियत धर्माराम पुत्र तिलाराम के स्थान पर राजस्व की भूलवंश से प्रार्थीगण के पिता की वलदियत धर्माराम पुत्र किरताराम गलत नाम दर्ज हो रखा है। जिसके कारण प्रार्थीगणें को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा हैं, आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी तहसीलदार सिणधरी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है, कि प्रार्थीगण के पिता की सही वलदियत धर्माराम पुत्र किरताराम न होकर धर्माराम पुत्र तिलाराम है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज प्रार्थीगण के पिता की वलदियत धर्माराम पुत्र किरताराम के स्थान पर धर्माराम पुत्र तिलाराम दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन एवं पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मौजा गोदारों का सरा पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 103/4 रकबा 9.8779 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पिता की सही वलदियत धर्माराम पुत्र तिलाराम के स्थान पर राजस्व की भूलवंश से प्रार्थीगण के पिता की वलदियत धर्माराम पुत्र किरताराम गलत नाम दर्ज हो रखा है, क्योकि प्रार्थीगण के पिता की सही वल्दियत धर्माराम पुत्र तिलाराम है। इससे साबित होता है कि प्रार्थीगण के पिता की सही वलदियत धर्माराम पुत्र किरताराम न होकर धर्माराम पुत्र तिलाराम है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता की गलत वल्दियत इन्द्राज की प्रविष्टि तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है, इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता की सही वलदियत धर्माराम पुत्र तिलाराम करवानें का हकदार है। इसी प्रकार तहसीलदार सिणधरी ने अपने जबाव में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थीगण के पिता की सही वल्दियत धर्माराम पुत्र तिलाराम है। पत्रावली के सलंग्न दसवेजी साक्ष्यो–सरकारी दस्तावेजात यथा–आधार कार्ड, बैंक पास बुक, परिवार राश कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, सहकारी किसान कार्ड में प्रार्थीगण के पिता की वलदियत धर्माराम पुत्र तिलाराम अंकित

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थीगण के पिता की गलत वल्दियत धर्माराम पुत्र किरताराम इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थीगण के पिता की सही वल्दियत धर्माराम पुत्र तिलाराम है। जो प्रार्थीगण विवादित भूमि में पिता की वल्दियत धर्माराम पुत्र किरताराम के स्थान पर धर्माराम पुत्र तिलाराम दुरूस्ती करवाने के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा गोदारों का सरा पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 103/4 रकबा 9.8779 हैक्टेयर में भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि प्रार्थीगण के पिता की वल्दियत धर्माराम पुत्र किरताराम के स्थान पर धर्माराम पुत्र तिलाराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते है। शेष बदूरतर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.06.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी